22 12 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में सेवा के आदर्श आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमों में संशोधन ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद उन पर पैनल्टी लगाई जा सके।

अधोहस्ताक्षरी को निर्देश मिला है कि उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के समसंख्यक का. ज्ञा. के दिनांक 16–12–1999 का तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद उन पर पैनल्टी लगाए जाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के सीडीए नियमों में संशोधन विषय पर दिनांक 28–12–2007 (प्रितलिपि संलग्न) का अवलोकन किया जाए तथा यह बताया जाए कि जैसा डीपीई का. ज्ञा. दिनांक 16–12–1999 में उल्लेख है, सेवाकाल के दौरान अनुशासनिक कार्यवाही को कार्यवाही का भाग ही माना जाएगा और उसे जारी रखा जाएगा तथा उसका निपटान उसी तरीके से किया जाएगा कि जैसे कर्मचारी सेवारत ही था।

2. केंद्रीय सतर्कता आयोग ने श्री रमेश चन्द्र शर्मा बनाम पंजाब नेशनल बैंक के केस में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 18–5–2007 के निर्णय का उद्धरण दिया है जिसमें शीर्षस्थ न्यायालय ने एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के बर्खास्त किए जाने के दण्ड को बरकरार रखा था। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सीडीए नियमों में उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है ताकि दोषी कर्मचारियों को ऐसी विभागीय कार्यवाहियों की समाप्ति पर पैनल्टी को लागू किया जा सके, जो उनके सेवाकाल में आरंभ हुई हों तथा उनकी अधिवर्षिता की आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्ति के बाद भी जारी रहती हों। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श के परिप्रेक्ष्य में अपने सीडीए नियमों में तदनुसार उपयुक्त प्रावधान, यदि पहले से न बनाए गए हों तो, शामिल कर सकते हैं।

3. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने कार्यक्षेत्र में इस संबंध में संबंधित सीडीए नियमों के लिए उपयुक्त प्रावधानों के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को निर्देश जारी करें।

विषय – सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद पैनल्टी लगाए जाने के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सीडीए नियमों में संशोधन – के संबंध में

आयोग द्वारा गंभीर चिंता व्यक्त की गई है कि चूंकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) गैर–पेंशन वाली संस्थापनाएं हैं, ऐसे विसामान्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद उन पर कोई पैनल्टी लगाए जाने की संभावना नहीं बन पाती, भले ही सेवा के दौरान अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले उन्होंने गंभीर चूक की हों। उपादान की राशि भी तब तक नहीं रोकी जा सकती जब तक कि व्यक्ति को अनुशासनिक कार्यवाही के फलस्वरूप सेवा से हटाया नहीं गया हो और किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद, सेवा से हटाए जाने अथवा पूर्व तिथि से उसे पैनल्टी दिए जाने का प्रश्न है, ऐसा विधिक रूप से मान्य नहीं है। एक ऐसी भी स्थिति थी कि सेवानिवृत्ति के बाद अनुशासनिक कार्यवाही भी जारी नहीं रखी जा सकी थी।

2. आयोग ने पहले भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को परामर्श दिया था कि वे अपने सीडीए नियमों में ऐसा प्रावधान करें कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद भी उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही जारी रखी जा सके। (दोषी कर्मचारियों की अधिवर्षिता की आयु पर सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद भी ऐसी विभागीय कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर पैनल्टी दिए जाने का एक उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जाने की आवश्यकता है)।

3. यह देखा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपने सीडीए नियमों में यह प्रावधान किया है कि इस उद्देश्य से सेवा को जारी रखा माना जाएगा। उक्त प्रावधान को इस प्रकार पढ़ा जाए(कोलन)

''जिस अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ की गई है, वह अधिवर्षिता की आयु पर सेवानिवृत्ति की तारीख को समाप्त मानी जाएगी, किंतु कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही वैसे ही जारी रहेगी जैसे कि वह सेवा में हो, जब तक कि कार्यवाही पर निर्णय नहीं हो जाता और उसके संबंध में अंतिम निर्णय नहीं ले लिया जाता। संबंधित अधिकारी को अधिवर्षिता की आयु पर सेवानिवृत्ति की तारीख को कोई वेतन और/अथवा भत्ते नहीं मिल सकेंगे। वह अनुशासनिक कार्यवाही पूर्ण होने तथा तत्संबंधी अंतिम आदेश जारी होने तक केंद्रीकृत भविष्य निधि (सीपीएफ) राशि के अंशदान के अलावा सेवानिवृत्ति लाभ पाने का हकदार नहीं होगा।''

4. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में उपरोक्त प्रावधान के आधार पर एक सेवानिवृत्त बैंककर्मी को सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय कार्यवाही के तहत बर्खास्त किए जाने के दण्ड को बरकरार रखने का निर्णय दिया गया है, इस प्रकार यह विधिमान्य हो गया है। श्री रमेश चन्द्र शर्मा बनाम पंजाब नेशनल बैंक के केस में दिनांक 18–5–07 के इसके निर्णय के संबंध में देखा जा सकता है कि –

''.....यह सत्य हो सकता है कि दोषी अधिकारी को सेवा से बर्खास्त किए जाने का प्रश्न साधारणतया उत्पन्न नहीं हुआ होगा, जबकि वह पहले ही अधिवर्षिता की आयु तक पहुंच चुका था। तथापि, इस प्रकार के आदेश के परिणाम सेवा नियमों में उपलब्ध कराए जाते हैं, हमारी राय में, यह कहना उचित नहीं होगा कि ऐसे किसी दण्ड को लागू करना कानूनन पूरी तरह अनुमत नहीं होगा।''

5. उच्चतम न्यायालय ने आगे निर्णय दिया कि –

''उक्त विनियम स्पष्ट उल्लेख करता है कि अधिवर्षिता की तारीख को सेवा समाप्त होने के बावजूद अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही जारी रह सकती है। कथित उद्देश्य के लिए एक विधिक कल्पना सृजित की गई है जिसमें यह व्यवस्था है कि दोषी अधिकारी को उस समय तक सेवा में माना जाएगा जब तक कि कार्यवाही अपने निष्कर्ष तक नहीं पहुंच जाती और उस पर अंतिम आदेश जारी नहीं कर दिए जाते। उक्त विनियम वैधानिक प्रकृति का होने के कारण पूर्ण रूप से लागू किया माना जाना चाहिए।''

''एक विधिक कल्पना जानी–मानी होती है। जब किसी कानून के तहत कोई विधिक कल्पना सृजित की जाती है, तो इसे पूर्ण अधिकार दिया जाना चाहिए, जैसा कि ईस्ट एंड ड्वेलिंग कंपनी लिमिटेड बनाम फिंसबरी बॉरो काउंसिल, 1951 (2) ऑल ई.आर. 587 के अंतर्गत देखा गया है ...''

6. जैसा की उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रावधान की विधिक मान्यता को बरकरार रखा गया है, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों को अपने सीडीए नियमों में संशोधन करने का परामर्श दिया गया है ताकि समान प्रावधान शामिल किए जा सकें। इस परिपत्र की पावती दी जाए और सीडीए नियमों में संशोधन करने की कार्रवाई के साथ–साथ संशोधित नियमों की एक प्रतिलिपि दिनांक 20–01–2008 तक आयोग को भिजवाई जाए।

[डीपीई का. ज्ञा. सं. **15(7)/1999-**डीपीई **(**जीएम**)-**जीएल**-98**, दिनांक 26 नवम्बर, 2009**]**

*****